सीडा

राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
29–आईआईई, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001
फोन नं0–0135–2607292, 2708100, 2608097
फैक्स– 0135–2708109
वेबसाईट–www.sidauk.in

पत्रांकः 35 /सीडा/मु0कार्य0अधि0/2021 दिनांकः 08 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृती उपरान्त आवेदक को अनुमोदन की तिथि से 30 दिवसों के अन्दर देय शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा 30 दिन अन्तर्गत देय समस्त शुल्क जमा नहीं किये जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि पत्रावली निरस्त कर दी जाती है तो आवेदक द्वारा Reopen फीस, जो Submission fee के समतुल्य होगा, जमा कर पत्रावली Reopen की जा सकती है। यदि आवेदक द्वारा Reopen उपरान्त उक्त 30 दिवसों के अन्दर Reopen fee जमा करके देय समस्त शुल्कों (Demand Challan) का भुगतान नहीं किया जाता है तो पत्रावली स्थाई रूप से निरस्त मानी जाएगी। ऐसी स्थिती में आवेदक द्वारा नवीन रूप से पत्रावली पुनः ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है।

भवदीय,

(एस0ए0 मुरूगेशन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक, सिडकुल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी कॉम्पलैक्स, डिसपेन्सरी रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस सम्बन्ध में Ease app सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।
3. वास्तुविद् सलाहकार, सीडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबन्धक(आई0टी0), सीडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त सहायक वास्तुविद्/अवर अभियंता, सीडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/4/2021

(एस0ए0 मुरूगेशन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी